



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12767

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 39054 वर्ष 2025**

अमन उर्फ ऋतिक

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

---

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता  | : जितेन्द्र सिंह, नमन किशोर शर्मा, विकास रस्तोगी |
| विपक्षी (गण की ओर से अधिवक्ता | : जी.ए.                                          |

---

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री विकास रस्तोगी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री जय किशन चौरसिया, राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 305 of 2025, धाराएं 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना कैट, जनपद बरेली में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त व्यक्ति आशीष उर्फ सोमू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 33198 of 2025 में 09.10.2025 को पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, अतः चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त की भूमिका के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। आवेदक को आरोपित आपराधिक इतिहास की व्याख्या की गई है। वह 02.06.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।



5. विद्वान राज्य विधि अधिकारी द्वारा जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है।
6. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में अवलोकन किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक प्रकरणों का लंबित रहना स्वयं जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अन्यथा उसका जमानत का प्रकरण बनता हो।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. आवेदक- **अमन उर्फ रितिक**, जो उपर्युक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
  - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
  - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
  - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

19 जनवरी, 2026

(रवि कांत)